



प्रेषक,

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उ०प्र०पं० दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान
विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-11 सितम्बर, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ०प्र०पं० दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-317/लेखा/बजट/2026-27, दिनांक-04.08.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक '2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-19-पं. दीन दयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा' के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किस्त के रूप में ₹0-450.00 लाख (रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण करने हेतु वित्त अधिकारी एवं कुलपति द्वारा संयुक्त रूप से बिल पर हस्ताक्षर किया जायेगा और उसे जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में न किया जाये।
4. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों/सामग्रियों आदि का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। जेम पोर्टल पर दरें उपलब्ध न होने की दशा में ही इनका क्रय उ०प्र० भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ०प्र० प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।
5. जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत व्यय धनराशि के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी अन्य योजना से द्विरावृत्ति न हो।
7. प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पूर्ण विवरण सहित यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।
9. आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कुलपति, उ०प्र०पं० दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,50,00,000 (रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 015 लेखा शीर्षक 2403001011900** पं. दीन दयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा **मानक मद 20** सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-1-118-X-2026-27, दिनांक-01.09.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

पु0सं0-187/2026/2017(1)/सैंतीस-2-2026/002-1(26)/08-95518, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक (प्रशासन एवं विकास)/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. रजिस्ट्रार/वित्त अधिकारी, उ.प्र.पं. दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
6. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।